



उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार, 18 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1934

(दिनांक : 08 जून, 2012)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी “क”)।
2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी “ख”)।
3. निधन के निदेश।
4. मुख्यमंत्री, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अधीन उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड की पंचम् वार्षिक प्रतिवेदन (2005-2006), षष्ठम् वार्षिक प्रतिवेदन (2006-2007), सप्तम् वार्षिक प्रतिवेदन (2007-2008), अष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन (2008-2009) तथा नवम् वार्षिक प्रतिवेदन (2009-2010) को सदन के पटल पर रखेंगे।
5. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
6. श्री उमेश शर्मा काऊ, सदस्य विधान सभा, “जनपद देहरादून के रायपुर विधान सभा क्षेत्र में जंगलों से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से की जाने वाली सुरक्षा के संबंध में” श्रीमती सुनीता देवी (अस्थल प्रधान) एवं अन्य निवासीगण, जनपद- देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
7. श्री उमेश शर्मा काऊ, सदस्य विधान सभा, “जनपद देहरादून के रायपुर विधान सभा क्षेत्र में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के बीच बहने वाली नदियों से बाढ़ सुरक्षा किये जाने के संबंध में” श्रीमती सुनीता देवी (अस्थल प्रधान) एवं अन्य निवासीगण, जनपद- देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
8. श्री वंशीधर भगत, सदस्य विधान सभा, “जनपद नैनीताल के हल्द्वानी विकास खण्ड के ग्राम देवलचौड़ खाम में मुख्य सड़क से लिंक रोड़ जो कि 300 मीटर को बनाने के संबंध में” श्री भैरव दत्त शर्मा एवं अन्य निवासीगण, ग्राम-देवलचौड़, हल्द्वानी, जनपद- नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
9. श्री वंशीधर भगत, सदस्य विधान सभा, “जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल की ग्राम सभा दोगड़ा में शहीद मुकेश जीना हाईस्कूल, 10 कि०मी० दूर एवं 10 कि०मी० दूरी पर ज्योलीकोट हाईस्कूल के होने के कारण ग्राम सभा दोगड़ा में इण्टर कालेज की स्थापना के संबंध में” श्री विजय कुमार एवं अन्य निवासीगण, गुणीपुर, हल्द्वानी, जनपद- नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
11. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
12. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
13. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-“ग”)

14. कार्यस्थगन प्रस्ताव, यदि कोई हो।
15. वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक की अनुदानों पर मांग, चर्चा एवं मतदान :-
 - (1) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 279929 हजार (सत्ताईस करोड़ निन्यानवे लाख उन्तीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
 - (2) संसदीय कार्य मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03 मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 197720 हजार (उन्नीस करोड़ सतहत्तर लाख बीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
 - (3) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 1063961 हजार (एक सौ छः करोड़ उन्तालीस लाख इक्सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।
 - (4) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08 आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 61316 हजार (छः करोड़ तेरह लाख सोलह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

- (5) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 5185504 हजार (पांच सौ अठारह करोड़ पचपन लाख चार हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

- (6) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 318717 हजार (इक्कीस करोड़ सत्तासी लाख सत्रह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

- (7) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 3680628 हजार (तीन सौ अरसठ करोड़ छः लाख अठ्ठाईस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

- (8) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 7348954 हजार (सात सौ चौतीस करोड़ नवासी लाख चौवन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

- (9) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 696964 हजार (उन्हत्तर करोड़ उन्हत्तर लाख चौसठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

- (10) मुख्यमंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 2514897 हजार (दो सौ इक्कावन करोड़ अड़तालीस लाख सन्तानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

16. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
17. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करेंगे।
18. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।
19. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2012 पारित किया जाय।
20. वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय। **(30 मिनट)**
21. वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

22. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।
23. विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत पर्यटन नगरी मसूरी में पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गणेश जोशी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, शहरी विकास मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।
24. विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर में रा0उ0मा0वि0 लखनाड़ी, जू0हा0 लोद, रा0इ0का0 मनसारीनाला चौड़ा, कन्या इ0का0 सोमेश्वर आदि विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अजय टम्टा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, शिक्षा मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।
25. जन-गण-मन। (देखिए नत्थी "ड")

देहरादून :
दिनांक : 08 जून, 2012

आज्ञा से,

(डी0पी0गैरोला)
प्रमुख सचिव।